सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-3362/JH/6/2024-ESDW दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
समाहरणालय, जिला-साहिबगंज,
साहिबगंज-816109,
(झारखंड)
Email Id: dc-sah@nic.in

विषय: **गैर आदिवासी द्वारा हड़पी गई जमीन खाली करवाने के संबंध में – श्री विशु मोहली, ग्राम-धोबना, प्रखंड़-मंडरा, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज (झारखंड) का दिनांक 15.07.2024 का पत्र/अभ्यावेदन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री विशु मोहली,
ग्राम-धोबना, प्रखंड़-मंडरा,
थाना-मिर्जाचौकी,
जिला-साहेबगंज (झारखंड)
Mobile No: 8789082570

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-3362/JH/6/2024-ESDW

अभ्यावेदक श्री विशु मोहली, ग्राम-धोबना, प्रखंड-मंडरो, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन, गैर-आदिवासी द्वारा हड़पी गई जमीन खाली करवाने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदक श्री विशु मोहली, ग्राम-धोबना, प्रखंड-मंडरो, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज (झारखंड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके पूर्वजों की भूमि पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। अभ्यावेदक ने कलाम अंसारी बनाम विशु मोहली, वाद संख्या 14/2021-21 में उनके पक्ष में पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए आयोग से अनुरोध किया है कि उनकी पैतृक भूमि को पुनः उनके कब्जे में दिलाने हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 19.11.2024 को संबंधित प्राधिकारी/जिलाधिकारी, साहेबगंज को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (ADC), साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), साहेबगंज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि परिवाद पत्र में वर्णित विवाद दो पक्षों के मध्य भूमि संबंधी विवाद है। विपक्षी कलाम अंसारी द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में निष्पादित वाद सं०-RMA 14/20-21 के विरुद्ध आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में अपीलवाद सं०-RMR 210/25-26 दायर किया गया है। उक्त अपीलवाद वर्तमान में विचाराधीन है, जिसके कारण विवादित भूमि से संबंधित दखल-दिहानी की कार्रवाई लंबित है तथा अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैः-

विवादित भूमि से संबंधित मामला आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में विचाराधीन है, अतः आयोग अनुशंसा करता है कि सक्षम प्राधिकारी उक्त वाद का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने के उपरांत जिला प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा यदि अभ्यावेदिका का दावा विधिसम्मत रूप से स्थापित होता है, तो उन्हें विवादित भूमि का दखल-दिहानी/कब्जा उपलब्ध कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करे।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in